

२९०

५१/८९८०/१४
१६/११/१७

फार्म

* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2016-17

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कुलदा जौ मुलवर 2. वर्तमान धारित पद सहायी अधिकारी
3. वर्तमान वेतन ल. ५५० + शेड-पे + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०१७



उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम दामवेड़ा जिला मोपाठी (रजिस्ट्रेशन अपार्टमेंट) पोलार रोड -मोपाठी	फ्लॉट नं. २६८ K-12 स्कॉलर अपार्टमेंट पोलार रोड -मोपाठी	-	350,000 लाख	स्वयं के नाम पर एवं पर्टि जो. एम. जामुलवर	खरीद (जामुलवर की अपार्टमेंट से रिय लेक इयर ट्रिया) जी. पी. एस. पार्ट फाइनल	व्यापक के उपयोग के	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम कुलदा जौ मुलवर

पद सहायी अधिकारी

संहारी अधिकारी

म. पु. विधान सभा,